



बैंक के साथ पत्राचार हेतु पता

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021

दूरभाष: 022-6638 7575 / 7818

ई-मेल: investors@centralbank.bank.in

11. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए सूचना:

जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक स्वरूप में रखे गए शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता। अतः शेयरधारकों को तरलता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमैट (Dematerialised) स्वरूप में परिवर्तित करा लें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- अनेक कंपनियों की प्रतिभूतियों को रखने का सुरक्षित एवं सुविधाजनक माध्यम।
- भौतिक शेयर प्रमाण-पत्रों से जुड़े जोखिमों से मुक्ति, जैसे—प्रमाण-पत्रों का खो जाना, प्रमाण-पत्रों का क्षतिग्रस्त होना, गलत वितरण, जाली अथवा कूटरचित प्रमाण-पत्र/पृष्ठांकन आदि।
- प्रतिभूतियों का सरल एवं त्वरित अंतरण।
- डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होता।
- अधिकार निर्गम(Rights Issue), बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट आदि लाभों एवं कॉर्पोरेट कार्यवाहियों का सीधा क्रेडिट शेयरधारक के डीमैट खाते में प्राप्त होता है।

12. भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने हेतु विशेष अवधि

सेबी के दिनांक 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक शेयरों के अंतरण संबंधी लंबित अनुरोधों को, जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, बैंक के आरटीए के पास 04 फरवरी, 2027 तक प्रस्तुत कर दें। इसके लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष अवधि (Special Window) उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत किया जा सके, जो 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे किन्तु दस्तावेजों अथवा प्रक्रिया में कमी के कारण अस्वीकृत, वापस कर दिए गए अथवा लंबित रह गए थे।

13. ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र (SMART ODR)

सेबी द्वारा 31 जुलाई, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 तथा 04 अगस्त, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135, जिन्हें 31 जुलाई,

2023 के मास्टर परिपत्र (11 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार भारतीय प्रतिभूति बाजार से संबंधित विवादों के समाधान हेतु एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ODR Portal) स्थापित किया गया है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/बैंक के समक्ष उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों तथा वर्तमान SCORES मंच का उपयोग करने के बाद भी यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो निवेशक ODR पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं।

14. अदावा लाभांश / शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B के अनुसार, जो लाभांश भुगतान की तिथि से सात वर्ष तक अवैतनिक या अप्राप्त रहता है, उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात उस राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उपरोक्त के अनुपालन में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित सभी अवैतनिक अथवा अदावा लाभांशों को उक्त निधि में स्थानांतरित कर दिया है। जिन शेयरधारकों के अदावा लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, वे आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब प्रपत्र आईईपीएफ-5 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर उक्त राशि का दावा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B में किए गए संशोधन के अनुसार, वे सभी इक्विटी शेयर जिन पर घोषित लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक अप्राप्त अथवा दावा न किया गया हो, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस प्रावधान के अनुपालन में बैंक उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को जिन्होंने पिछले सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक लाभांश का दावा नहीं किया है, आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के अदावा लाभांशों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसे शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भविष्य में इन शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2E) के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक के संबंध में अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर पर

मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बंधकों) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम में दर्ज है, तो मतदान के उद्देश्य से रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने तथा कार्यसूची पर मतदान करने का अधिकारी होगा। मतदान रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में किया जा सकता है, बशर्ते मतदान अधिकार का प्रयोग पहले से रिमोट ई-वोटिंग द्वारा न किया गया हो।

16. मतदान हेतु कट-ऑफ / रिकॉर्ड तिथि

1. बैंक के वे शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डीमैट रूप में शेयर धारक होंगे, कार्यसूची की **मद संख्या 1 से 8 तक** पर मतदान करने के पात्र होंगे।
2. बैंक के वे शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 26 जून, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डीमैट स्वरूप में शेयर धारक होंगे, कार्यसूची की **मद संख्या 9** पर मतदान करने के पात्र होंगे।

17. रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(1), कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (संशोधित रूप से) तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में, बैंक वैकल्पिक मतदान व्यवस्था के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे सदस्यों को अपने मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने में सुविधा होगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता **एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, जो सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित है, के अनुसार मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों के लिए उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी अथवा डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है। व्यक्तिगत डीमैट खाता धारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ पुनः पंजीकरण कराए बिना ही अपना मत प्रदान कर सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में सरलता एवं सुविधा भी प्राप्त होगी। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करने की सलाह दी जाती है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होगी और गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात

मतदान हेतु एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मांड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

डीमैट मोड/भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया, निर्देश तथा लॉगिन करने की विधि निम्नलिखित है:

दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/0155 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन की विधि :

एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगिन

- ए) यूआरएल पर जाएँ: <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp>
- बी) अपना 8-अक्षरीय डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करें तथा ओटीपी जनरेट करें।
- सी) अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
- डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
- ई) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "ई-वोटिंग" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु 'इंस्टा वोट' वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

विधि 2 - एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा

आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक :

- ए) यूआरएल <https://eservices.nsdl.com> पर जाएँ तथा "IDeAS अनुभाग" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।
- बी) अपना IDeAS यूजर आईडी, पासवर्ड तथा सत्यापन कोड दर्ज करें और "लॉगइन" पर क्लिक करें।
- सी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आप मूल्य संवर्धित सेवाएँ अनुभाग के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
- डी) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।



आईडीईएस सुविधा के अन्तर्गत गैर पंजीकृत शेयरधारक :

- पंजीकरण के लिए यूआरएल <https://eservices.nsdl.com> पर जाएँ तथा “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें अथवा <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp> पर क्लिक करें।
- अपना 8-अक्षरीय डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर तथा सत्यापन कोड दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें / ‘ओटीपी’ जनरेट करें।
- सफल पंजीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
- उपर्युक्त बिंदु (ए) से (डी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speed” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience



विधि 3 - एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट

- यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> पर जाएँ।
- ‘Shareholder/Member’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध “Login” टैब पर क्लिक करें।
- यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ धारित आपके डीमैट खाते की 16-अंकीय संख्या), पासवर्ड/ ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करें और “Login” पर क्लिक करें।
- सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें।
- “एमयूएफजी इनटाइम” अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित “e-voting” लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - सीडीएसएल ई-वोटिंग पृष्ठ

- यूआरएल <https://www.cdslindia.com> पर जाएँ।
- ई-वोटिंग टैब पर जाएँ।
- 16-अंकीय डीमैट खाता संख्या (बीओ आईडी) तथा पैन संख्या दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
- प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगी।

- सफल प्रमाणीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् “एमयूएफजी इनटाइम” के लिंक उपलब्ध होंगे। “एमयूएफजी इनटाइम” अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित “e-voting” लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

विधि 2 - सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा

ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

- यूआरएल <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login> पर जाएँ अथवा www.cdslindia.com पर जाकर “Login” पर क्लिक करें और “My Easi New (Token)” का चयन करें।
- अपना वर्तमान यूजरनेम एवं पासवर्ड दर्ज करें और “Login” पर क्लिक करें।
- सफल प्रमाणीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् एमयूएफजी इनटाइम के लिंक उपलब्ध होंगे। “एमयूएफजी इनटाइम” अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित “e-voting” लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले शेयरधारक:

- पंजीकरण हेतु यूआरएल <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration> अथवा <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration> पर जाएँ।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण/फील्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- सफल पंजीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता को उसके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर यूजरनेम एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। इसके बाद उपर्युक्त बिंदु (ए) से (सी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।

- डीपी (डिपॉजिटरी प्रतिभागी) की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- सफल लॉगिन के उपरांत उपयोगकर्ता “e-voting” विकल्प पर जाए।
- “e-voting” विकल्प पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा, जहाँ वह ई-वोटिंग सुविधा

देख सकेगा।

डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत “एमयूएफजी इनटाइम” अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित “e-voting” लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारकों / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन की विधि।

ई-वोटिंग हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक निम्नानुसार इंस्टा वोट पर पंजीकरण कर मतदान कर सकते हैं :

चरण 1 : इंस्टा वोट पर लॉगिन / साइन-अप

इंस्टा वोट सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक :

ए) यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा ‘SHARE HOLDER’ टैब के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें।

बी) निम्नानुसार विवरण दर्ज करें :

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g. IN123456) and 8 digit Client ID (eg. 12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. यूजर आईडी: यूजर आईडी दर्ज करें
2. पासवर्ड: वर्तमान पासवर्ड दर्ज करें
3. इमेज सत्यापन (कैप्चा) कोड दर्ज करें”.
4. Submit पर क्लिक करें.

(ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा। इसके पश्चात “प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण” के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का पालन करें।)

इंस्टा वोट सुविधा के लिए गैर पंजीकृत शेयरधारक:

ए) यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा ‘SHARE HOLDER’ टैब के अंतर्गत “Sign Up” पर क्लिक करें और निम्नानुसार विवरण भरकर पंजीकरण करें :

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g. IN123456) and 8 digit Client ID (eg. 12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. यूजर आईडी: यूजर आईडी दर्ज करें
2. पैन: अपना 10-अंकीय स्थायी खाता संख्या दर्ज करें। (जिन शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के साथ अद्यतन नहीं किया है, वे लागू होने पर उन्हें प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें।)

3. जन्म तिथि/निगमन तिथि : अपनी जन्म तिथि / निगमन तिथि DD/MM/YYYY प्रारूप में दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के अभिलेखों में दर्ज है)

4. बैंक खाता संख्या: अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के अभिलेखों में दर्ज है।

- **एनएसडीएल फॉर्म में** शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उपर्युक्त बिंदु 4 में दी गई जानकारी प्रदान करेंगे।
- **सीडीएसएल फॉर्म में** शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उपर्युक्त बिंदु 3 अथवा बिंदु 4 में दी गई जानकारी प्रदान करेंगे।
- **भौतिक रूप में** शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयरधारक, जिनके लिए उपर्युक्त बिंदु 3 एवं बिंदु 4 में उल्लिखित विवरण अभिलेखित नहीं है, वे उपर्युक्त बिंदु 4 में अपने फोलियो नंबर का उल्लेख करेंगे।

5. अपनी पसंद का पासवर्ड निर्धारित करें।

(पासवर्ड में न्यूनतम 8 अंक होने चाहिए तथा उसमें कम से कम एक विशेष वर्ण (!#\$%&*), एक अंक, एक अक्षर तथा एक कैपिटल अक्षर होना आवश्यक है।)

6. इमेज सत्यापन (कैप्चा) कोड दर्ज करें।

7. सबमिट पर क्लिक करें” (अब आपका इंस्टा वोट पर पंजीकरण हो चुका है।)

सफल पंजीकरण के उपरांत ‘SHARE HOLDER’ टैब के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें तथा उपर्युक्त बिंदु (ए) से (बी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 2 : इंस्टा वोट के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण

ए. सफल प्रमाणीकरण तथा इंस्टा वोट इनबॉक्स पेज पर पुनर्निर्देशन के उपरांत, आप “Notification for e-voting” देख सकेंगे।

बी. ‘View’ आइकन का चयन करें। ई-वोटिंग पेज प्रदर्शित हो जाएगा।

सी. प्रस्ताव के विवरण को देखें और ‘पक्ष में’ / ‘विपक्ष में’ में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन कर मतदान करें। (यदि आप प्रस्ताव का पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो ‘View Resolution’ फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।)

डी. इच्छित विकल्प अर्थात् ‘पक्ष’ / ‘विपक्ष’ का चयन करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें।

ई. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो ‘Yes’ पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए ‘No’ पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत में संशोधन करें।

नोट : शेयरधारक मतदान करने से पूर्व “Vote as per Proxy Advisor’s Recommendation” विकल्प पर क्लिक कर प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में प्रॉक्सी सलाहकार की अनुशंसाओं को देख सकते हैं। “Vote as per Proxy Advisor’s Recommendation” विकल्प ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों की राय एवं सुझावों तक पहुँच



प्रदान करता है। अंतिम रूप से मत प्रस्तुत करने से पूर्व शेयरधारक अपने मत में संशोधन कर सकते हैं।

एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

गैर-व्यक्तिगत निगमित निकाय शेयरधारक अपने प्रतिनिधि को मतदान हेतु प्राधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन की हुई प्रति, जांचकर्ता के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेंगे तथा उसकी प्रति रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) को enotices@in.mpms.mufg.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी प्रेषित करेंगे।

संस्थागत शेयरधारकों ("अभिरक्षक/ निगमित निकाय/ म्यूचुअल फंड") के लिए दिशानिर्देश

चरण 1 – अभिरक्षक/ निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड का पंजीकरण

- ए. यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ।
- बी. "अभिरक्षक/ निगमित निकाय/ म्यूचुअल फंड" के अंतर्गत "Sign Up" पर क्लिक करें।
- सी. अपनी संस्था/निकाय से संबंधित विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।
- डी. एक घोषणा-पत्र तथा संस्था आईडी तैयार होकर प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी (जो साइन-अप के समय दर्ज की गई है)। उक्त फॉर्म पर संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, निदेशक अथवा कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे तथा संस्था की मुहर लगाकर उसे insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाएगा।
- ई. इसके उपरांत लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी, ऑर्गनाइजेशन आईडी एवं पासवर्ड) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ई-मेल आईडी पर भेज दिए जाएँगे। (अब आपका इंस्टा वोट पर पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।)

चरण 2 – निवेशक मैपिंग

- ए. यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा अपने **इंस्टा वोट लॉगिन क्रेडेंशियल** का उपयोग करके लॉगिन करें।
- बी. मेन्यू अनुभाग के अंतर्गत "Investor Mapping" टैब पर क्लिक करें।
- सी. निम्नलिखित विवरणों के साथ निवेशक की मैपिंग करें:
 1. 'निवेशक आईडी' – एनएसडीएल डीमैट खाते के लिए निवेशक आईडी 8-अक्षरीय डीपी आईडी के बाद 8-अंकीय क्लाइंट आईडी होगी, अर्थात् IN00000012345678. सीडीएसएल डीमैट खाते के लिए निवेशक आईडी 16-अंकीय लाभार्थी आईडी होगी।
 2. 'निवेशक का नाम' – डीपी के अभिलेखों में अद्यतन नाम के अनुसार निवेशक का नाम दर्ज करें।
 3. 'निवेशक का पैन' – अपना 10-अंकीय पैन दर्ज करें।

4. 'पावर ऑफ अटॉर्नी' – बोर्ड प्रस्ताव अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति संलग्न करें।

नोट : बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की फ़ाइल का नाम डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी अथवा 16-अंकीय लाभार्थी आईडी के अनुसार होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अभिरक्षक एवं म्यूचुअल फंड को अपने नमूना हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।

- डी. "Submit" बटन पर क्लिक करें। (अब निवेशक की मैपिंग अभिरक्षक / निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड इकाई के साथ हो जाएगी) इसकी जानकारी "Report" अनुभाग के अंतर्गत देखी जा सकती है।

चरण 3 – इंस्टा वोट के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण

निगमित शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित दो विधियों से मतदान कर सकता है।

विधि 1 – मत प्रविष्टि

- ए. यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा अपने इंस्टा वोट लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।
- बी. मेन्यू अनुभाग के अंतर्गत "Votes Entry" टैब पर क्लिक करें।
- सी. उस "Event No." को दर्ज करें, जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं।
Event No. को इंस्टा वोट के होम पेज पर "On-going Events" के अंतर्गत देखा जा सकता है।
- डी. 16-अंकीय डीमैट खाता संख्या दर्ज करें।
- ई. प्रस्ताव का विवरण देखें तथा 'पक्ष' / 'विपक्ष' में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन कर मतदान करें। (यदि आप प्रस्ताव का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो 'View Resolution' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।) इच्छित विकल्प अर्थात् 'पक्ष' / 'विपक्ष' का चयन करने के बाद 'Submit' पर क्लिक करें।
- एफ) एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'Yes' पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए 'No' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत में संशोधन करें।

(एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पायेंगे)

विधि 2 – मत अपलोड

- ए. यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> पर जाएँ तथा अपने इंस्टा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।
- बी. सफल लॉगिन के उपरांत आपको "Notification for e-voting" दिखाई देगा।
- सी. "Company's Name / Event Number" के लिए "View" आइकन का चयन करें।

डी) ई-वोटिंग पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।

ई) “Download Sample Vote File” टैब से नमूना मतदान फ़ाइल डाउनलोड करें।

एफ) नमूना मतदान फ़ाइल में ‘पक्ष’ / ‘विपक्ष’ में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन करके अपना मत दर्ज करें तथा उसी फ़ाइल को “Upload Vote File” विकल्प के अंतर्गत अपलोड करें।

जी) ‘Submit’ पर क्लिक करें। ‘Data uploaded successfully’ का संदेश प्रदर्शित होगा।

(एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पायेंगे)

नोट: गैर-व्यक्तिगत निगमित निकाय शेयरधारक अपने प्रतिनिधि को मतदान हेतु प्राधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति जांचकर्ता के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेंगे तथा उसकी प्रति रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अधिकर्ता (आरटीए) को enotices@in.mpms.mufig.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी प्रेषित करेंगे।

हेल्पडेस्क :

भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक :

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, यदि लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं, तो वे इंस्टा वोट हेल्पडेस्क से enotices@in.mpms.mufig.com पर अनुरोध भेजकर अथवा निम्नलिखित दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं : दूरभाष : 022 - 4918 6000.

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या हेतु संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क जानकारी
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य अपनी समस्या का विवरण evoting@nsdl.co.in ई-मेल पर भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क जानकारी
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य अपनी समस्या का विवरण helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल पर भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

पासवर्ड भूलने की स्थिति में:

भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक / डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

यदि भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक / डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो वे <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध “Forgot Password” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

- ‘शेयरधारक’ टैब के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात “Forgot Password?” पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें, मोड का चयन करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “Submit” पर क्लिक करें।

यदि कस्टोडियन / कॉर्पोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो वे <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध “Forgot Password” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं

- “कस्टोडियन/ कॉर्पोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड” टैब के अंतर्गत “लॉगिन” पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात “Forgot Password?” पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता आईडी, संगठन आईडी तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “Submit” पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों का वैध ई-मेल पता पंजीकृत है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिया जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न एवं उत्तर, पैन, जन्म तिथि/निगमन तिथि आदि का विवरण प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड निर्धारित कर सकते हैं। पासवर्ड में न्यूनतम 8 वर्ण होने चाहिए तथा उसमें कम से कम एक विशेष चिन्ह (!#\$%&*), एक अंक, एक अल्फाबेट अक्षर और एक कैपिटल लेटर अवश्य होना चाहिए।



एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जो अपना पासवर्ड भूल गए हों:

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा यदि अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो उन्हें संबंधित डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी की उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध “यूज़र आईडी भूल गए” “Forget User ID” तथा “Forget Password” विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

शेयरधारकों हेतु आम निर्देश

- यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसित किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों/सदस्यों के लिए, इन विवरणों का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल प्रस्तावों पर मतदान करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक/सदस्य किसी विशेष “इवेंट” के लिए प्रस्ताव/प्रस्तावों पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं।
 - कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शेयर धारित करता है, वह ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
 - इस सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

18. रिमोट ई-वोटिंग / बैठक में मतदान हेतु संवीक्षक:

- “ठाणे स्थित एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित कराने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

19. रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में मतदान के परिणाम:

- संवीक्षक, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात दो (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर, बैंक के कर्मचारी न होने वाले कम-से-कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों को अनब्लॉक करेंगे तथा पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों, यदि कोई हों, की संवीक्षक रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
- घोषित परिणाम, संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक आम

बैठक में प्रस्ताव पारित होने की तिथि से दो (2) दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनकी सूचना बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी दी जाएगी।

20. बैठक का परिणाम:

प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने की शर्त पर, प्रस्तावों को बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तिथि पर पारित माना जाएगा।

21. बैठक की रिकॉर्डेड प्रतिलिपि/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही यथाशीघ्र बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

22. ई-वोटिंग एवं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 22.09.2025 के आम परिपत्र संख्या 03/2025 के अनुसार, कंपनियाँ वर्तमान प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम से वार्षिक आम बैठकें आयोजित करना जारी रख सकती हैं। अगले आदेश तक यह छूट प्रभावी रहेगी।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इंस्टामीट सुविधा का उपयोग करने हेतु अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी सही रूप से अद्यतन रखें

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए लॉगिन की प्रक्रिया:

- यूआरएल <https://instameet.in.mpms.mufg.com> पर जाएँ तथा “Login” पर क्लिक करें।
- “कंपनी का नाम” का चयन करें और निम्नलिखित विवरणों के साथ अपना पंजीकरण करें।
- “डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या/ पैन)” वाले चेक बॉक्स का चयन करें।

- एनएसडीएल/सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक “डीमैट खाता संख्या” वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या दर्ज करें।
- भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक “फोलियो संख्या” वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करें।
- शेयरधारक “पैन” वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा 10 अंकों की स्थायी खाता संख्या दर्ज करें। जिन शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के साथ अद्यतन नहीं कराया है, वे, यदि लागू हो, एमयूएफजी इंटाइम द्वारा प्रदान की गई क्रम संख्या का उपयोग करें।

- मोबाइल नंबर: डीपी के साथ अद्यतन मोबाइल नंबर स्वतः प्रदर्शित होगा। जिन शेयरधारकों ने अपना मोबाइल नंबर डीपी के साथ अद्यतन नहीं कराया है, उन्हें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- ई-मेल आईडी: डीपी के साथ अद्यतन ई-मेल आईडी स्वतः प्रदर्शित होगी। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी डीपी के साथ अद्यतन नहीं कराई है, उन्हें अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी।

डी) “Go to Meeting” पर क्लिक करें।

अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हो चुके हैं तथा बैठक हेतु आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली गई है।

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक के दौरान मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

बैठक के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान सक्रिय किया जाएगा, तब वे शेयरधारक जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है, निम्नानुसार मतदान कर सकते हैं:

- ए) शेयरधारक वीसी पृष्ठ पर “Cast your vote” लिंक पर क्लिक करें।
- बी) अपनी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या तथा इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- सी) “सबमिट” पर क्लिक करें।
- डी) सफलतापूर्वक लॉगिन होने के पश्चात आपको “प्रस्ताव का विवरण (Resolution Description)” दिखाई देगा तथा उसके सामने मतदान हेतु “पक्ष में” / “विपक्ष में” का विकल्प उपलब्ध होगा।
- ई) अपनी इच्छा के अनुसार उपयुक्त विकल्प अर्थात् “पक्ष में” या “विपक्ष में” का चयन करके मतदान करें। ‘पक्ष में’/‘विपक्ष में’ के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दर्ज करें।
- एफ) अपनी इच्छा के अनुसार “पक्ष में” या “विपक्ष में” विकल्प का चयन करने तथा मतदान का निर्णय लेने के पश्चात “सेव” पर क्लिक करें। इसके बाद एक पुष्टि बॉक्स (Confirmation Box) प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो “कन्फर्म” पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए “बैक” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशोधित करें। एक बार किसी प्रस्ताव पर अपने मत की पुष्टि कर देने के पश्चात आपको उसे बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

नोट:

जो शेयरधारक/सदस्य इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं दिया है और जो अन्यथा मतदान करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

जो शेयरधारक/सदस्य आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, वे इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे बैठक के दौरान पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को ब्रॉडबैंड से जुड़े टैबलेट अथवा लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों, टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े लैपटॉप का उपयोग करने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान या गुणवत्ता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अतः ऐसी समस्याओं से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

हेल्पडेस्क:

लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक अपनी समस्या का विवरण instameet@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 022 – 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने हेतु निर्देश

जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकरण अनुरोध एवं प्रश्न ई-मेल आईडी investors@centralbank.bank.in पर 24 जुलाई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से 27 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।

टिप्पणी:

केवल वे ही शेयरधारक/सदस्य, जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया होगा, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने अथवा प्रश्न पूछने के लिए अनुमत होंगे। बैंक, वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

*शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल तभी बोलें जब बैठक के संचालक अथवा प्रबंधन द्वारा उनके नाम एवं क्रम संख्या की घोषणा की जाए।

शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरा का उपयोग करना चाहिए तथा बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) का उपयोग करना आवश्यक है।

Contact details of RTA and Investor Relations Division of Bank are as under:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

MUFG Intime India Pvt. Ltd.

(Formerly Known as Link Intime India Pvt. Ltd.)

C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),

Mumbai - 400 083

Tel: 022-4918 6270

Email Id: rnt.helpdesk@in.mpms.muvg.com

Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary and Compliance Officer

Central Bank of India,

9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Tel: 022- 6638 7575/7818

Email id: investors@centralbank.bank.in

11. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. There are various benefits associated with converting your shareholding in Demat form such as:

- Safe and convenient mode of holding securities of multiple companies.
- No risks associated with physical share certificates- such as loss of certificates, mutilation of certificates, bad delivery, fake/ forged certificates or endorsements, etc.,
- Easy and instant transfer of securities.
- No stamp duty on transfer of securities in demat mode.
- Direct credit of benefits and corporate actions such as rights shares, bonus shares, stock split, etc. in the demat account of the shareholder.

12. Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares:

As per SEBI Circular dated 30th January, 2026, Shareholders of Bank are advised to submit their share transfer requests duly completed in all respects to RTA of Bank on or before 04th February, 2027 during the special window which is opened from 05th February, 2026 to 04th February, 2027 to facilitate the re-lodgement of transfer requests of physical shares which were lodged prior to 01st April 2019 but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/ process.

13. Online Dispute Resolution Mechanism (SMART ODR):

SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Pursuant to above-

mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal at <https://smartodr.in/login>

14. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. In view of above, Bank has transferred all unpaid or unclaimed dividends declared by Bank upto financial year 2014-15 to said Fund. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on IEPF website at www.iepf.gov.in.

Further, as per amendment to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, all the equity shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more shall also be transferred to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. The details of unclaimed dividends of the shareholders till FY 2014-15 have been hosted on the Bank's website at <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations>. These shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority. Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the shares so transferred to IEPF.

15. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. As per Regulation 10 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

16. Cut Off / Record date for voting:

1. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 24th July, 2026**, shall be eligible for voting on **agenda item nos.1 to 8**.

2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 26th June, 2026**, shall be eligible for voting on **agenda item no. 9**.

17. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with **MUFG Intime India Pvt. Limited**, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on “e-voting facility provided by Listed Companies”, e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider (“ESP”) thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period shall begin on Monday, 27th July, 2026 at 10.00 AM and ends on Thursday, 30th July, 2026 at 05.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given as below:

In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL

METHOD 1 - NSDL OTP based login

- a) Visit URL: <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp>
- b) Enter your 8 - character DP ID, 8 - digit Client Id, PAN, Verification code and generate OTP.
- c) Enter the OTP received on your registered email ID/ mobile number and click on login.

- d) Post successful authentication, you will be re-directed to NSDL depository website wherein you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services.
- e) Click on “MUFG InTime” or “evoting link displayed alongside Company’s Name” and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

METHOD 2 - NSDL IDeAS facility

Shareholders registered for IDeAS facility:

- a) Visit URL: <https://eservices.nsdl.com> and click on “Beneficial Owner” icon under “IDeAS Login Section”.
- b) Enter IDeAS User ID, Password, Verification code & click on “Log-in”.
- c) Post successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services section. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services.
- d) Click on “MUFG InTime” or “evoting link displayed alongside Company’s Name” and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Shareholders not registered for IDeAS facility:

- a) To register, visit URL: <https://eservices.nsdl.com> and select “Register Online for IDeAS Portal” or click on <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp>
- b) Enter 8-character DP ID, 8-digit Client ID, Mobile no, Verification code & click on “Submit”.
- c) Enter the last 4 digits of your bank account / generate ‘OTP’
- d) Post successful registration, user will be provided with Login ID and password.
- e) Follow steps given above in points (a-d).

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speed” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience

App Store Google Play



METHOD 3 - NSDL e-voting website

- a) Visit URL: <https://www.evoting.nsdl.com>
- b) Click on the “Login” tab available under ‘Shareholder/ Member’ section.
- c) Enter User ID (i.e., your 16-digit demat account no. held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen & click on “Login”.
- d) Post successful authentication, you will be re-directed to NSDL depository website wherein you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services.
- e) Click on “MUFG InTime” or “evoting link displayed alongside Company’s Name” and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

METHOD 1 - CDSL e-voting page

- Visit URL: <https://www.cdslindia.com>.
- Go to e-voting tab.
- Enter 16-digit Demat Account Number (BO ID) and PAN No. and click on "Submit".
- System will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile and Email as recorded in Demat Account
- Post successful authentication, user will be able to see e-voting option. The evoting option will have links of e-voting service providers i.e., MUFG InTime. Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

METHOD 2 - CDSL Easi/ Easiest facility:

Shareholders registered for Easi/ Easiest facility:

- Visit URL: <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login> or Visit URL: www.cdslindia.com, click on "Login" and select "My Easi New (Token)".
- Enter existing username, Password & click on "Login".
- Post successful authentication, user will be able to see e-voting option. The evoting option will have links of e-voting service providers i.e., MUFG InTime. Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Shareholders not registered for Easi/ Easiest facility:

- To register, visit URL: <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration> / <https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration>.
- Proceed with updating the required fields for registration.
- Post successful registration, user will be provided username and password on the registered email id. Follow steps given above in points (a-c).

Individual Shareholders holding securities in demat mode with Depository Participant

Individual shareholders can also login using the login credentials of your demat account through your depository participant registered with NSDL / CDSL for e-voting facility.

- Login to DP website
- After Successful login, user shall navigate through "e-voting" option.
- Click on e-voting option, user will be redirected to NSDL / CDSL Depository website after successful authentication, wherein user can see e-voting feature.
- Post successful authentication, click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Login method for shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode.

Shareholders holding shares in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode as on the cut-off date for e-voting may register and vote on InstaVote as under:

STEP 1: LOGIN / SIGNUP on InstaVote

Shareholders registered for INSTAVOTE facility:

- Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> & click on "Login" under 'SHARE HOLDER' tab.
- Enter details as under:

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

- User ID: Enter User ID
- Password: Enter existing Password
- Enter Image Verification (CAPTCHA) Code
- Click "Submit".

(Home page of e-voting will open. Follow the process given under "Steps to cast vote for Resolutions")

Shareholders not registered for INSTAVOTE facility:

- Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> & click on "Sign Up" under 'SHARE HOLDER' tab & register with details as under:

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

- User ID: Enter User ID
- PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable.
- DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP/Company - in DD/MM/YYYY format)
- Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company.
 - Shareholders, holding shares in **NSDL form**, shall provide 'point 4' above.
 - Shareholders, holding shares in **CDSL form**, shall provide 'point 3' or 'point 4' above.
 - Shareholders, holding shares in **physical form** but have not recorded 'point 3' and 'point 4', shall provide their Folio number in 'point 4' above

5. Set the password of your choice.
(The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter).
6. Enter Image Verification (CAPTCHA) Code.
7. Click "Submit" (You have now registered on InstaVote).
Post successful registration, click on "Login" under 'SHARE HOLDER' tab & follow steps given above in points (a-b).

STEP 2: Steps to cast vote for Resolutions through InstaVote

- A. Post successful authentication and redirection to InstaVote inbox page, you will be able to see the "Notification for e-voting".
- B. Select 'View' icon. E-voting page will appear.
- C. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link).
- D. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'.
- E. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

NOTE: Shareholders may click on "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" option and view proxy advisor recommendations for each resolution before casting vote. "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" option provides access to expert insights during the e-Voting process. Shareholders may modify their vote before final submission.

Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently.

Non-Individual Body corporate shareholders shall send a scanned copy of the board resolution authorising its representative to vote, to the scrutinizer at registered email address with a copy marked to RTA at enotices@in.mpms.mufig.com and the company at registered email address.

Guidelines for Institutional shareholders ("Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund")

STEP 1 – Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund Registration

- A. Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in>
- B. Click on "Sign Up" under "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund"
- C. Fill up your entity details and submit the form.
- D. A declaration form and organization ID is generated and sent to the Primary contact person email ID (which is filled at the time of sign up). The said form is to be signed by the Authorised Signatory, Director, Company Secretary of the entity & stamped and sent to insta.vote@linkintime.co.in.

- E. Thereafter, Login credentials (User ID; Organisation ID; Password) is sent to Primary contact person's email ID. (You have now registered on InstaVote)

STEP 2 – Investor Mapping

- A. Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> and login with InstaVote Login credentials.
- B. Click on "Investor Mapping" tab under the Menu section
- C. Map the Investor with the following details:
 - 1) 'Investor ID' – Investor ID for NSDL demat account is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID i.e., IN00000012345678; Investor ID for CDSL demat account is 16 Digit Beneficiary ID.
 - 2) 'Investor's Name' - Enter Investor's Name as updated with DP.
 - 3) 'Investor PAN' - Enter your 10-digit PAN.
 - 4) 'Power of Attorney' - Attach Board resolution or Power of Attorney.

NOTE: File Name for the Board resolution/ Power of Attorney shall be – DP ID and Client ID or 16 Digit Beneficiary ID.

Further, Custodians and Mutual Funds shall also upload specimen signatures.

- D. Click on Submit button. (The investor is now mapped with the Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund Entity). The same can be viewed under the "Report section".

STEP 3 – Steps to cast vote for Resolutions through InstaVote

The corporate shareholder can vote by two methods, during the remote e-voting period.

METHOD 1 - VOTES ENTRY

- a) Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> and login with InstaVote Login credentials.
- b) Click on "Votes Entry" tab under the Menu section.
- c) Enter the "Event No." for which you want to cast vote.
Event No. can be viewed on the home page of InstaVote under "On-going Events".
- d) Enter "16-digit Demat Account No.".
- e) Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'.
- f) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

(Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently).

METHOD 2 - VOTES UPLOAD

- Visit URL: <https://instavote.linkintime.co.in> and login with InstaVote Login credentials.
- After successful login, you will see "Notification for e-voting".
- Select "View" icon for "Company's Name / Event number".
- E-voting page will appear.
- Download sample vote file from "Download Sample Vote File" tab.
- Cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' in the sample vote file and upload the same under "Upload Vote File" option.
- Click on 'Submit'. 'Data uploaded successfully' message will be displayed.

(Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently).

NOTE: Non-Individual Body corporate shareholders shall send a scanned copy of the board resolution authorising its representative to vote, to the scrutinizer at registered email address with a copy marked to RTA at enotices@in.mpms.mufg.com and the company at registered email address.

HELPDESK:

Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode facing any technical issue in login may contact INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000.

Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in demat mode may contact the respective helpdesk for any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending request at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Forgot Password:

Individual Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode have forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both then the shareholder can use the "Forgot Password" option available on: <https://instavote.linkintime.co.in>

InstaVote USER ID	NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
	CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
	Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

- Click on "Login" under 'SHARE HOLDER' tab.
- Further Click on "forgot password?"
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA).
- Click on "SUBMIT".

In case Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund has forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both then the shareholder can use the "Forgot Password" option available on: <https://instavote.linkintime.co.in>

- Click on 'Login' under "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund" tab
- Further Click on "forgot password?"
- Enter User ID, Organization ID and Enter Image Verification code (CAPTCHA).
- Click on "SUBMIT".

In case shareholders have a valid email address, Password will be sent to his / her registered e-mail address. Shareholders can set the password of his/her choice by providing information about the particulars of the Security Question and Answer, PAN, DOB/DOI etc. The password should contain a minimum of 8 characters, at least one special character (!#\$%&), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter.*

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL has forgotten the password:

Individual Shareholders holding securities in demat mode have forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both, then the Shareholders are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned depository/ depository participants website.

General Instructions - Shareholders

- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders/ members holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.
- During the voting period, shareholders/ members can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
 - Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 24th July, 2026, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
 - A copy of this notice is being made available on the website of the Bank and also on the website of MUFG Intime India Pvt. Limited.

18. Scrutinizers at remote e-voting / voting at the Meeting:

- S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO,** Company Secretaries, Thane has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting process at AGM in a fair and transparent manner.

19. Results of remote evoting and voting at the Meeting:

- The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> and on the website of MUFG Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

20. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

21. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank <https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations> as soon as possible.

22. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

In terms of Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 03/2025 dated 22.09.2025, the companies can continue to conduct AGMs by VC or OAVM, as per the

existing procedural requirements. Till further orders, the relaxations will remain in force.

Shareholders are advised to update their mobile number and email Id correctly in their demat accounts to access InstaMeet facility.

Login method for shareholders to attend the General Meeting through InstaMeet:

- Visit URL: <https://instameet.in.mpms.mufg.com> & click on "Login".
- Select the "Company Name" and register with your following details:
- Select Check Box - **Demat Account No. / Folio No. / PAN**
 - Shareholders holding shares in NSDL/ CDSL demat account shall select check box - Demat Account No. and enter the 16-digit demat account number.
 - Shareholders holding shares in physical form shall select check box – Folio No. and enter the Folio Number registered with the company.
 - Shareholders shall select check box – PAN and enter 10-digit Permanent Account Number (PAN). Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided by MUFG Intime, if applicable.
 - Mobile No: Mobile No. as updated with DP is displayed automatically. Shareholders who have not updated their Mobile No with the DP shall enter the mobile no.
 - Email ID: Email Id as updated with DP is displayed automatically. Shareholders who have not updated their Email Id with the DP shall enter the Email Id.
- Click "Go to Meeting"

You are now registered for InstaMeet, and your attendance is marked for the meeting.

Instructions for Shareholders to Vote during the General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated during the meeting, shareholders who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

- On the Shareholders VC page, click on link "Cast your vote".
- Enter your 16-digit Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet.
- Click on 'Submit'.
- After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
- Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/ Against" as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/ Against'.
- After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm